संख्या : 854 / 1–10–2011–14(23) / 2004टी0सी0

प्रेषक,

**के0के0 सिन्हा,**
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**प्रमुख सचिव**
गृह विभाग
उ0प्र0 शासन

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 8 मार्च, 2011

**विषय : पीएसी की बाढ़ राहत जीवन रक्षक उपकरणों के कय हेतु दी गयी स्वीकृति के अवशेष धन से अतिरिक्त उपकरणों के कय की अनुमति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पी0ए0सी0 मुख्यालय महानगर, लखनऊ के पत्र संख्या–पीएसी–तीन–802–10 / 803 दिनांक 04 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–571 / 1–10–1100(87) / 04 दिनांक 14 नवम्बर, 2010 द्वारा राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की दिनांक 25 अगस्त, 2010 की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में पी0ए0सी0 को बाढ़ राहत जीवन रक्षक उपकरणों के कय हेतु रू0 48,26,100 / – की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से रू0 41,94,022–80 की धनराशि गृह विभाग द्वारा व्यय की गई है। रू0 6,32,077–20 की धनराशि अवशेष है। श्री राज्यपाल महोदय बाढ़ राहत जीवन रक्षक उपकरणों के कय हेतु उक्त अवशेष धनराशि रू0 6,32,077–20 उक्त पत्र दिनांक 04 मार्च, 2011 के विवरणानुसार व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का उपयोग केवल उपरोक्त बाढ़ राहत जीवन रक्षक उपकरणों के कय पर किया जाएगा। कय में समस्त औपचारिकताओं एवं नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

4. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से बचत संभव हो तो उन्हे दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध करया जाय तथा महालेखाकार, इलाहाबाद के अभिलेखों में पुस्तांकन व मिलान समय से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्याः 854/1–10–2011–14(23)/2004टी0सी0, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा) प्रथम /(आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
3–मण्डलायुक्त लखनऊ।
4–अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5 एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11 ।
7– राहत आयुक्त संगठन/श्री संजय अग्रवाल, पीएस, एनआई सी को राहत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।